

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 22 जनवरी, 2011

संख्या: एल0एल0आर0—डी0(6)—1 / 2011—लेज.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22-1-2011 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (2011 का अध्यादेश संख्यांक 1) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा,
सचिव (विधि)।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H.P. Ordinance No. 1 of 2011

**THE HIMACHAL PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL
AREA (AMENDMENT) ORDINANCE, 2011**

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the
Sixty-first year of the Republic of India

*An Ordinance further to amend the Himachal Pradesh Tax on Entry of
Goods into Local Area Act, 2010 (Act No. 9 of 2010)*

WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is
not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that
the circumstances exist which render it necessary for her to take
immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short Title

1. This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Amendment) Ordinance, 2011.

Amendment of section 3

2. In section 3 of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010, (hereinafter referred to as the “principal Act”),-

(a) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:-

“ (3) Every dealer who brings any goods into local area for use in manufacturing, processing, conversion, job-work, assembling or packing of goods and such goods sold inside the State otherwise than Value Added Tax sales or sent outside the State otherwise than in the course of inter-state sale or in the course of export out of territory of India, shall be liable to pay tax under this Act.”;

(b) In sub-section (4), after clause (iii), the following new clause shall be inserted, namely:-

“(iv) “in respect of goods specified in Schedule-II, which after entry into local area are used or consumed in manufacturing, processing, conversion, job-work, assembling or packing of goods and such goods are sent outside the State by way of sale in the course of inter-state sale or in the course of export out of territory of India;” and

(c) In sub-section (4), the existing clause (iv) shall be re-numbered as clause (v).

**Insertion of
new section
6-A**

3. After section 6 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

“6-A. Payment of tax and returns.-(1) Every registered dealer shall furnish monthly return within 15 days from the expiry of such month and in such manner containing such particular as may be prescribed.

(2) Before filing of return under sub-section (1), a dealer shall deposit full amount of tax due on fortnightly basis for the period of preceding fortnight and shall furnish the proof of payment of such tax to the Assessing Authority.

(3) If a dealer fails without sufficient

cause to furnish the monthly returns under sub-section (1), he shall be liable to pay, by way of penalty, a sum equal to Rs. 100 per day for delay in furnishing such return upto ten days, where after the penalty shall be Rs. 500 per day till the default continues; provided that where no tax is payable, such penalty shall not exceed Rs. 500 for every return.

(4) If a dealer fails without sufficient cause to comply with the requirements of provisions of sub-section (2), the Commissioner or any other person appointed to assist him under sub-section (1) of section 3 of Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, may, after giving such dealer a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty a sum equal to 50 percentum of the amount of tax due.”.

**Amendment
of section 7**

4. In section 7 of principal Act, in sub-section (1),-

(a) after existing clause (c), the following new clause shall be inserted, namely:-

“(d) the value of goods which after manufacturing, processing, conversion,

job-work, assembling or packing are sent outside the State in the course of inter-state sale or in the course of export out of the territory of India;”; and

(b) The existing clause (d) shall be re-numbered as clause **(e)**.

**Amendment
of section 8**

5. In section 8 of the principal Act,-

(a) before the words “where entry tax”, the signs and figure “(1)” shall be inserted; and

(b) after existing proviso, the following new sub-section shall be inserted, namely:-

“(2) where entry Tax has become payable on the value of goods specified in Schedule-II and such goods are used in manufacture, processing, conversion, job-work, assembling or packing and sent outside the State by way of inter-state sale or in the course of export out of territory of India, the dealer shall be entitled to a set off of tax under this Act proportionate to the turnover of Value Added Tax sales made within State or inter-state sale or export out of territory of India.”.

Urmila Singh
Governor, Himachal Pradesh

(A.C. Dogra)
Secretary (Law)
Himachal Pradesh

Shimla:

Date:

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2011

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित ।

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010(2010 का अधिनियम संख्यांक 9) का और संशोधन करने के लिए **अध्यादेश** ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है ;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं:—

संक्षिप्त नाम 1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2011 है ।

धारा 3 का संशोधन । 2. हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी

जाएगी, अर्थात्:—

“(3) प्रत्येक व्यौहारी जो किसी भी माल को विनिर्माण, प्रसंस्करण, संपरिवर्तन, फुटकर काम, संमंजन या माल की पैकिंग के लिए स्थानीय क्षेत्र में लाता है और ऐसा माल मूल्य परिवर्धित कर विक्रयों से अन्यथा राज्य के भीतर विक्रीत किया जाता है या अंतरराज्यिक विक्रय के क्रम में से अन्यथा या भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात के क्रम

में राज्य से बाहर भेजा जाता है, तो वह इस अधिनियम के अधीन कर के संदाय के लिए दायी होगा । ”;

(ख) उपधारा (4) के खण्ड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(iv) “अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट ऐसा माल, जिसे स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात् विनिर्माण, प्रसंस्करण, संपरिवर्तन, फुटकर काम, संमजन या माल की पैकिंग के लिए उपयोग में या उपभोग में लाया जाता है और ऐसा माल, अन्तरराज्यिक विक्रय के क्रम में या भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात के क्रम में, विक्रय द्वारा राज्य से बाहर भेजा जाता है;” और

(ग) उपधारा (4) के विद्यमान खण्ड (iv) को खण्ड (v) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ।

नई धारा 6—क का अन्तःस्थापन । 3. मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“6—क. कर का संदाय और विवरणियाँ.— (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, ऐसे मास के अवसान से पन्द्रह दिन के भीतर और ऐसी रीति में, ऐसी विशिष्टियों से अन्तर्विष्ट जैसी विहित की जाए, मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन विवरणी दाखिल करने से पूर्व व्यौहारी, पूर्ववर्ती पाक्षिक अवधि के लिए पाक्षिक आधार पर देय कर की पूर्ण रकम जमा करेगा और ऐसे कर के संदाय का सबूत निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

(3) यदि व्यौहारी बिना किसी प्रर्याप्त हेतुक के, उपधारा (1) के अधीन मासिक विवरणियाँ प्रस्तुत करने में असफल रहता है,

तो वह ऐसी विवरणी को प्रस्तुत करने के हुए विलम्ब के लिए दस दिन तक सौ रूपए प्रतिदिन के बराबर की राशि शास्ति स्वरूप संदत्त करने के लिए दायी होगा, जिसके पश्चात् जब तक व्यतिक्रम जारी रहता है, शास्ति पांच सौ रूपए प्रतिदिन होगी; परन्तु जहां कोई भी कर संदेय नहीं है, तो ऐसी शास्ति प्रत्येक विवरणी के लिए पांच सौ रूपए से अधिक नहीं होगी ।

(4) यदि व्यौहारी बिना किसी प्रर्याप्त हेतुक के, उपधारा (2) के उपबन्धों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो आयुक्त या हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उसकी सहायता के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, ऐसी व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उसे देय कर की रकम के पचास प्रतिशत के बराबर की राशि शास्ति स्वरूप संदत्त करने का निदेश दे सकेगा । ” ।

धारा 7 का
संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में,—

(क) विद्यमान खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(घ) माल का मूल्य जो विनिर्माण, प्रसंस्करण, संपरिवर्तन, फुटकर काम, संमजन या पैकिंग के पश्चात् अन्तरराज्यिक विक्रय के क्रम में या भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात के क्रम में राज्य से बाहर भेजा जाता है; ” ; और

(ख) विद्यमान खण्ड (घ) को खण्ड (ड.) के रूप में पुनःसंख्याकित किया जाएगा ।

धारा 8 का
संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(क) “जब किसी व्यौहारी” शब्दों से पूर्व “(1)” चिन्ह और अंक अन्तःस्थापित किया जाएगा; और

(ख) विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(2) जहां प्रवेश कर, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट माल के मूल्य पर संदेय हो गया है और ऐसे माल को विनिर्माण, प्रसंस्करण, संपरिवर्तन, फुटकर काम, संमजन या पैकिंग में उपयोग में लाया जाता है और अन्तरराज्यिक विक्रय के द्वारा या भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात के क्रम में राज्य से बाहर भेजा जाता है, तो व्यौहारी, राज्य के भीतर या अन्तरराज्यिक विक्रय या भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात में किए गए मूल्य परिवर्धित कर विक्रयों के आवर्त के अनुपात में इस अधिनियम के अधीन कर की मुजरर (सैट-आफ) का हकदार होगा । ”।

(उर्मिला सिंह)

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश

(ए.सी. डोगरा)
सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

शिमला:
तारीख:

मैं हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2011 के उपर्युक्त अंग्रेजी अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूँ ।

उर्मिला सिंह,
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ।

माननीया राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2011 के उपर्युक्त अंग्रेजी अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।

सचिव (विधि)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

